



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 163 राँची, सोमवार, 7 अप्रैल, 2025 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

5 अप्रैल, 2025

संचिका सं०-ख०नि०(नीति)-01/2025-940एम०,--झारखण्ड गजट असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित गजट संख्या-135, राँची, गुरुवार 20, मार्च, 2025 के अनुपालन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अवस्थित विभिन्न कोलियरी द्वारा माह मार्च, 2025 में प्रेषित कोयले के आधार पर भारित औसत बिक्री मूल्य माह अप्रैल, 2025 से अगले आदेश तक Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले के लिए निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है:-

Grade wise Average Sale Price of Coal

Coal Grade	Avg. Unit Price (In Rs.)
G3	6475.27
G4	5679.37
G5	4655.11
G6	4689.81
G7	3819.46
G8	3569.27
G9	2019.29
G10	1592.38
G11	1542.49
G12	1574.74
G13	1500.38
G17	765.53
Washery-I	5193.65
Washery-II	4458.35
Washery-III	3725.77
Washery-IV	2811.53
Washery-V	2496.32
Washery-VI	2575.53
Steel Grade II	5391.68

नोट:-i. उपरोक्त वर्णित भारित औसत बिक्री मूल्य स्वामिस्व एवं अन्य वैधानिक शुल्क को छोड़कर है।

ii. सभी जिला खनन पदाधिकारी को निदेश है कि निर्धारित भारित औसत बिक्री मूल्य के आधार पर Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले पर नियमानुसार स्वामिस्व की गणना एवं वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
